

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुक्तकिली प्रकरण संख्या 95 / 2023 (GCMS : 2023/154)

1. राजप्रीत सिंह पुत्र तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
बनाम
1. उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, सादुलशहर
2. हरजिन्द्र सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
3. ग्राम पंचायत पन्नीवाली जरिये सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत पन्नीवाली
4. यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री हजूर सिंह फौत
4 / 1 सुखदेव कौर पत्नी हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
5. गुरसेवक सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
6. तरसेम सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
7. खुशप्रीत सिंह पत्नी तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
8. लवप्रीत सिंह पुत्र तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
9. जगमेल सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
10. जगमोहन सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
11. कृपाल सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
12. हरदीप सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
13. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
14. भूपेन्द्र सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
15. जसमेल कौर पुत्री मालासिंह पत्नी मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
16. बलजिन्द्र कौर पुत्री माला सिंह पत्नी इन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
17. जसविन्द्र कौर पुत्री माला सिंह पत्नी हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर



जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

11.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रणजीत सिंह एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सतीश गौसाईं उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।


अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2022 अनवानी हरजिन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत पन्नीवाली आदि अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान करशतकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज किया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 3/2022 अनवानी हरजिन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत पन्नीवाली आदि अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीमानगर